न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 125/2019 दायरा दिनांक : 23.12.2019

उनवान

1– प्रहलाद सिंह पुत्र छीतर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– राजेन्द्र सिंह पुत्र छीतर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– सुरेन्द्र सिंह पुत्र छीतर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– हुकुमत सिंह पुत्र नन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– तंवर बाई पुत्री नन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– धनकंवर बाई पुत्री नन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– बृजेश कंवर बाई पुत्री नन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5– भूर कंवर विधवा पत्नी नन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6– बलवन्द सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

7– हिम्मत सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8– लाड कंवर पुत्री भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

9– शाखा प्रबन्धक महोदय सी बी आई शाखा खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

10– भू अवाप्ति अधिकारी महोदय,परवन वृहद सिंचाई परियोजना अकावदकला कार्यालय खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड

11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रघुवीर सिंह गौड अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 29.12.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 774/दावा/2017 निर्णय दिनांक 04.12.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट्स वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अकारण ही अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलांट के विरूद्ध

(राजेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय पारित किया है । ग्राम तारज में नया खाता संख्या 721 पुराना खाता संख्या 774 के खसरा नम्बर 974 की रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा आराजी स्थित है जो कि रेस्पोडेट्स के खाते में दर्ज है । मद नं. 1 में वर्णित आराजी को अपीलांट वादीगण के पिता एवं रेस्पोडेंट के दादा व पति ने आपस में मिल जुलकर 40 वर्ष झांड बाड काटकर बजंड आराजी को काबिल काश्त बनाया था तब से ही उपरोक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर अपीलांट एवं 1/2 हिस्से पर रेस्पोडेंट निरन्तर काश्त करते हुए चले आ रहे हैं एवं वर्तमान में भी कर रहे हैं । विधि का यह सुस्थिापित सिंद्धात हैं कि रेस्पोडेंट को सर्व प्रथम अपना जवाबदावा प्रस्तुत करना चाहिए था तत्पश्चात् तनकियात कायम की जाकर एवं पक्षकारों की शहादत लेखबद्ध की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आर्डर 7 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्र पर अपना निर्णय पारित करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिवत कार्यवाही का इस्तेमाल नहीं करके अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलांट वादीगण के दावे को अकारण ही खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.12.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि श्री हितेश राठौड ने दिनांक 12.10.2017 को वकालतनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। दिनांक 12.10. 2017 तक जवाब पेश नहीं किया । दिनांक 25.07.2018 को आर्डर 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया । हमने जवाब भी पेश कर दिया अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज कर दिया । अतः अपील स्वीकार की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में 2018 (4) आर एल डब्ल्यू पेज 3279, 2011(4) आर एल डब्ल्यू पेज 3420, The Code of Civil Procedure, 1908 Order VIII पेज 224 तृतीय अनुसूची पेज 221 उद्धरत की ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया । रेस्पोडेंट ने आर्डर 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने सही आदेश पारित किया । वादग्रस्त भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है । ये खातेदार ही नही है, कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा कैसे कर सकते हैं । बिना साक्ष्य, सबूत के अधीनस्थ न्यायालय का फैसला सही है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में स्पष्ट किया है कि वादीगण अपीलांटगण ने कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है किन्तु वाद के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । वादीगण ने आर टी एक्ट की धारा 188 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है । जबकि इस धारा में केवल खातेदारी ही वाद ला सकता है । वादीगण व उनके अधिवक्ता दिनांक 19.11.2019 को जानबूझ कर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे यह प्रकट होता है कि स्वयं वादीगण/अपीलांटगण अपने वाद को चलाना नहीं चाहते । अतः वाद विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विधिनुसार खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा